



553



श्रीमान न्यायालय श्रीमान महोदय राजवाड़ा म.प्र. ।

R-3170-I/12 76/18/2012

प्र०क०-



1- कैलाशचंद्र पिता हीरालाल आयु-54 वर्ष जाति पाटीदार नि०ग्राम म्कोड़ी तहसील गुलाना जिला शाजापुर म.प्र. ।

2- शरदचंद्र पिता हीरालाल आयु-50 वर्ष, जाति पाटीदार नि०ग्राम म्कोड़ी तह० गुलाना जिला शाजापुर ।

उक्त प्रार्थीगण

बनाम 1- जालमसिंह पिता गोपालसिंह नि. म्कोड़ी म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ग्राम म्कोड़ी तहसील गुलाना जिला शाजापुर । विपक्षी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50-म.प्र. म. हा. स. 1959,

क्रिद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 30-3-2012 अर्द्धक तह हुंदरसी ख.क 11A/12-11-22

प्रार्थीगण की ओर से पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:- /

// संक्षिप्त विवरण //

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर यह कि विपक्षी क्रमांक-1 द्वारा मान्नीय तहसीलदार महोदय तहसील

हुंदरसी को ग्राम म्कोड़ी स्थित भूमि सर्वे नंबर 1015/2 रकबा 0.34 आरे

भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर

से विपक्षी क्रमांक-2 व गिरदावर महोदय द्वारा सीमांकन किया जाकर

उपरोक्त भूमि के 110-कट्टी x 130-कट्टी भूमि पर आवेदक क्रमांक-01 एवं

90x130-कट्टी पर प्रार्थी क्रमांक-02 का आधिपत्य पाया गया जिसमें

मवेशी बांधने का बाड़िया बना हुआ है ।

श्री दीपक पंवार श्री अजय शर्मा 24-5-2012 को प्रस्तुत 2- श्री अजय शर्मा 563 मर आकेला

अधीनस्थ महोदय, नरेन्द्र, शाजापुर

श्री. राजेश चामुण्डा 19/9/12 को द्वारा आज दि प्रस्तुत

के.के. वेलक ऑफ कट्टे 19-9-12 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कालिका

212 पृष्ठ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3170-एक/12

जिला - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.11.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	